डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी/राज्य सम्पत्ति विभाग/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक परीक्षा–2024
Check List

पदनाम – व्यवस्थाधिकारी/व्यवस्थापक अनुक्रमांक......................................

क्र0सं0	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
01	ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना पत्रक **(प्रपत्र संख्या–04)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल अंकतालिका/प्रमाण–पत्र *	
06	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (अ) व्यवस्थाधिकारी, डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल हेतु :– (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कैटरिंग और होटल मैनेजमेन्ट में डिग्री। (ब) व्यवस्थापक, राज्य संपत्ति विभाग हेतु :– भारत के मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की हो; तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलॉजी में 03 वर्षीय डिप्लोमा धारक भी हो। अथवा होटल मैनेजमेन्ट में स्नातक उपाधि नेशनल कांउसिल फॉर होटल मैनेजमेंन्ट एण्ड कैटिरिंग टैक्नोलॉजी (NCHMCT) या उससे सम्बद्ध संस्थानों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की गयी हो। (स) व्यवस्थापक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हेतु :– (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल व्यवस्थापन एवं खान–पान तकनीक (Hotel Management and Catering	

	Technology) या आतिथ्य एवं होटल प्रशासन (Hospitality and Hotel Administration) में पूर्णकालिक स्नातक उपाधि तथा, **(दो)** पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति (Hotel and Restaurant Approval and Classification Committee) द्वारा दो या इससे अधिक सितारों (Two Star and above) के साथ वर्गीकृत किए गए होटल अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय आतिथ्य सत्कार एवं होटल संस्थान में, न्यूनतम 02 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया हो।	
07	अधिमानी अर्हता (अ) व्यवस्थाधिकारी, डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल हेतु :– (i)ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसे सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में न्यूनतम एक वर्ष का **केटरिंग व हाउसकीपिंग** में कार्य करने का अनुभव हो। (ii) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (iii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। (ब) व्यवस्थापक, राज्य संपत्ति विभाग हेतु :– (i)सरकारी या निजी अधिष्ठान द्वारा चलाई जाने वाली किसी कैन्टीन में पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम 01 वर्ष कार्य करने का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। सरकारी अधिष्ठान के अन्तर्गत ऐसे होटल/रेस्टोरेन्ट तथा कैन्टीन सम्मिलित माने जायेंगे, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के अन्तर्गत किसी स्वायत्तशासी संस्था/परिषद/निकाय के अधीन संचलित हो, जबकि निजी अधिष्ठान के अन्तर्गत ऐसे होटल अथवा रेस्टोरेन्ट सम्मिलित माने जायेंगे, जिन्हें होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अप्रूवल एण्ड क्लासिफिकेंशन कमेटी (H.R.A.C.C) द्वारा स्टार रेटिंग्स प्रदान की गयी हो। (ii) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (iii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। (स) व्यवस्थापक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हेतु :– (i) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथावा ''सी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। (iii) एन0एस0एस0 का "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	
08	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)**	
09	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/दिव्यांग/ उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)	
10	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।	

11	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	
12	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।	
13	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या **A-4/DR/M.O.&Manager/E5/2023-24** दिनांकः **19 जनवरी, 2024** के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद **व्यवस्थाधिकारी, डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/व्यवस्थापक, राज्य सम्पत्ति विभाग** (ग्रेड–पे 4600) अथवा **व्यस्थापक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार (ग्रेड–पे 4200)** से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड–पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
14	विज्ञापन के बिन्दु सं0–03 में अन्य अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह ग पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण–पत्र/अभिलेख–	
	1.Is Your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from and recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा 4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा 4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose? अथवा	
	5.(ii) Is your spouse or your parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose?	
15	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	

16	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ।	
17	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड / वोटर कार्ड / ड्राइविंग लाईसेंस आदि अवश्य लेकर आयें।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की **अंतिम तिथि 09 फरवरी, 2024 तक वैध** होना चाहिए। शासनादेश संख्या–310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। **अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों।**

* ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र **वित्तीय वर्ष 2022–2023** की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए।

नोट–आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या–02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या–03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या–04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर............................

अभ्यर्थी का नाम..................................